शब्द–ब्रह्म
ISSN 2320 – 0871
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका
17 जून 2014

सम्पादकीय

पिंक रिवोल्यूशन बनाम माँस निर्यात नीति

डॉ..पुष्पेंद्र दुबे

विश्व के देश भारत की ओर आशाभरी निगाहों से देख रहे हैं। वह इसलिए नहीं कि भारत एक उभरती महाशक्ति है, बल्कि इसलिए कि भारत माँस उत्पादन के क्षेत्र में विश्व का सिरमौर बनेगा। यहां के जैविक माँस की दुनियाभर में मांग है। एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में चालू साल में पशुओं की संख्या में छः प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। इससे वहां माँस उत्पादन कम होने की आशंका है। अतः विश्व बाजार का मानना है कि विश्व में माँस उत्पादन में आने वाली कमी को भारत पूरा करेगा। माँस निर्यात में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। पहले स्थान पर ब्राजील है। भारत का चमड़ा उद्योग भारत के दस प्रथम उद्योगों में शामिल है। इससे भारत को हजारों करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि विश्व का दूसरे नंबर का और एशिया का सबसे बड़ा कतलखाना मुम्बई के देवनार में स्थित है। इसका संचालन मुम्बई महानगर पालिका निगम करती है। यद्यपि मुम्बई में संचालित होने वाले कतलखाने को स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया था, परंतु यहां से प्रतिदिन माँस निर्यात होता है। इस कतलखाने में देश के कोने-कोने से आने वाले अच्छे बैलों का कतल किया जाता है। उत्तरप्रदेश में माँस उत्पादन और निर्यात के सर्वाधिक कतलखाने हैं। यहीं के एक प्रमुख कतलखाने को सन् 2004 में महत्वपूर्ण राजनेताओं ने श्रेष्ठ उत्पादन और निर्यात का प्रमाण पत्र दिया था। एक प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्र ने यह बताया था कि केंद्र सरकार के भूतपूर्व मंत्री की पत्नी के नाम से उत्तरप्रदेश में मांस निर्यातक कंपनी काम कर रही है। इस कंपनी का नाम धार्मिक शब्दावली पर था, जिसका काफी विरोध किया गया। भारत में उत्तरप्रदेश माँस उत्पादन में पहले नंबर पर है। यद्यपि भारत से गोमाँस के निर्यात पर प्रतिबंध है, लेकिन केरल और बंगाल में गोहत्या पर कानूनी प्रतिबंध नहीं होने से अन्य पशुओं के माँस के साथ इसका निर्यात भी किया जाता है। अन्य राज्यों से तस्करी कर पशुओं को उन राज्यों में भेजा जाता है, जहां इस पर रोक संबंधी कानून नहीं हैं। इस तस्करी में भारी भ्रष्टाचार होता है। भारत से भैंस के माँस का निर्यात बड़े पैमाने पर किया जाता है। भारत में प्रथम कतलखाना बंगाल के गवर्नर राबर्ट क्लाइव ने कोलकाता में सन् 1760 में लगाया था। यहां प्रतिदिन 30000 गायों का कतल किया जाता था। सन् 1910 तक भारत में कतलखानों की संख्या 350 थी। वर्तमान में देश में 3600 लाइसेंस प्राप्त कतलखाने हैं और लगभग 30000 अवैध कतलखाने संचालित हो रहे हैं। आधुनिक तरीके से बनाए गए कतलखानों में प्रतिदिन हजारों पशुओं का कतल किए जाने की क्षमता है। एक प्रमुख कंपनी को माँस निर्यात करने के लिए पांच सितारा कतलखाने का दर्जा प्राप्त है। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। इसे श्रेष्ठ माँस उत्पादन के लिए तत्कालीन वायसराय

ने प्रमाण पत्र भी दिया था। यह कंपनी 64 देशों में माँस निर्यात करती है। भारत से अधिकाँश माँस निर्यात बहरीन, इजिप्ट, इंडोनेशिया, ईरान, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, मलेशिया, यमन, ओमान, फिलिपिंस, कतर, सउदी अरब, थाईलैंड किया जाता है। इनमें भी वियतनाम प्रमुख देश है। माँस और चमड़े के निर्यात के बदले भारत अपनी खपत का 80 प्रतिशत जीवाष्म ईंधन अरब देशों से आयात करता है। भारत में मौजूद सभी प्रमुख माँस उत्पादक और निर्यातक कंपनियों ने यह जाहिर किया है कि उनके कतलखाने में इस्लामिक नियमों के अनुसार भैंस-भैंसे, पशुओं का कतल किया जाता है। इसके लिए जमियत उलेमा हिन्द प्रमाण पत्र जारी करती है।

एक ओर तो सरकार महंगाई कम करने और गरीबी का अभिशाप मिटाने के लिए प्रतिबद्धता जाहिर करती है और दूसरी ओर पूरी अर्थनीति गांव के खिलाफ खड़ी है, जबकि भारत देश गांवों में रहता है। उसकी अर्थव्यवस्था की मुख्य धुरी गौवंश है। एक तरफ तो सरकार गौवंश की रक्षा के लिए योजनाएं बनाती है, जैसे राजस्थान सरकार ने गोमंत्रालय स्थापित किया है, तो दूसरी तरफ माँस निर्यात हेतु कतलखाने खोलने के लिए अनुदान और ऋण भी उपलब्ध करा रही है। भारत में औद्योगीकरण के कारण पशुपालन निरंतर कठिन होता जा रहा है। किसान चारे की कमी से जूझ रहे हैं। एक तरफ खेती का मशीनीकरण और दूसरी तरफ पशुओं का संरक्षण, यह दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। ट्रैक्टर बनाने में भारत दुनिया में पहले नंबर पर है। अब तो भारत के छोटी जोत के किसानों को ध्यान में रखकर कंपनियां छोटे ट्रैक्टर बना रही हैं, जिसकी कीमत मात्र 2.5 लाख रुपये है। पूर्ववर्ती सरकार के समय माँस निर्यात बढ़ाने के लिए ही पशुपालन मंत्रालय ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना में नये कतलखाने खोलने की सिफारिश की थी, जिसे योजना आयोग ने जनता के विरोध के चलते अस्वीकार कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव पूर्व अपने भाषणों में अनेक बार 'पिंक रिवोल्यूशन' की आलोचना की है। संपूर्ण गौवंश हत्याबंदी का केंद्रीय कानून बनाने के लिए केंद्र सरकार को इस विषय को समवर्ती सूची में लेना होगा और इसके लिए उसे संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी, जबकि माँस निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार को नीतिगत निर्णय लेना है। यदि केंद्र सरकार भारत में रहने वाले 125 करोड़ लोगों की भावनाओं का सम्मान करती है और वह स्वयं को भारतीय संस्कृति की रक्षक बताती है तो उसे अविलंब माँस निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना चाहिए और गौवंश हत्याबंदी का केंद्रीय कानून बनाने की पहल करना चाहिए। विनोबाजी ने जो देश में सम्पूर्ण गौवंश हत्याबंदी के लिए मुम्बई के देवनार कतलखाने के समक्ष 11 जनवरी 1982 को सत्याग्रह करने का आदेश दिया था। यह सत्याग्रह आज भी चल रहा है। इसका आधार ही सत्य, प्रेम और करुणा है। जैसे गांधीजी चरखे को अहिंसा का प्रतीक मानते थे और 'सूत्र यज्ञ' में सबको सम्मिलित करते थे वैसे ही विनोबाजी गाय को प्रेम और करुणा का प्रतीक मानकर मुसलमान, ईसाई आदि सभी को गोरक्षा के महान यज्ञ में सम्मिलित करना चाहते थे। भारत में गोरक्षा भारतीय संस्कृति का प्रतीक है, जो हिंदू, मुस्लिम, ईसाई आदि सभी की समन्वित साझा संस्कृति है। भारतीय इतिहास इस बात का साक्षी है कि यहां मुगल बादशाहों ने कानून बनाकर गोहत्याबंदी की थी। यदि भारत

ISSN 2320 – 0871
17 जून 2014

में सभी समुदाय के लोग मिलकर प्रेम से गोरक्षा करें और सभी राजनीतिक दल मिलकर गोहत्याबंदी कानून बनाएं तो सारे विश्व पर उसका वैसा ही जबर्दस्त असर होगा जैसा भारत की आजादी का हुआ था। जब कांग्रेस और भाजपा मिलकर कई सारे विधेयक पास कर सकते हैं तो गोवंशहत्याबंदी विधेयक क्यों नहीं ?